जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक........................../अभि0
दिनांक.............../........./2019

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर ने अपने पत्रांक 148 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा श्री अली असगर, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–खीरिडीह, प्रखण्ड–विजयीपुर को कार्यो में लापरवाही बरतने, मृत व्यक्ति को इंदिरा आवास का भुगतान कराने, बिना सूचना के अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहने के कारण उनका संविदा रद्द करने हेतु आरोप पत्र अपने अनुशंसा के साथ भेजा गया है। उनके द्वारा गठित आरोप निम्नवत है :–

क्र0	आरोप प्रतिवेदन में संबंधित प्रतिवेदन	साक्ष्य
1	मृत व्यक्ति को इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त का लाभ दिलाने एवं नजायज तरीकें से लाभुकों से धन उगाही करने के संबंध में।	प्राप्त परिवाद पत्र की जॉच श्री सरोज कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, विजयीपुर से करायी गयी है। जॉचोपरान्त श्री अली असगर, ग्रामीण आवास सहायक, खीरीडीह द्वारा इंदिरा आवास योजना के द्वितीय किस्त में मृत व्यक्ति को भुगतान कराया गया है। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 826 दिनांक 13.10.2018 एवं ज्ञापांक 858 दिनांक 22.10.18 द्वारा ग्रामीण आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका जवाब अप्राप्त है।
2	दिनांक 20.08.2018 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बैठक में उपलब्धि शून्य रहने पर स्पष्टीकरण।	दिनांक 20.08.2018 को जिला स्तर पर आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक में खिरिडीह पंचायत की उपलब्धि शून्य रहने के बावत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर द्वारा कार्यालय के पत्रांक 14 मु0 दिनांक 28.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। लेकिन उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
3	गलत तरीकों से लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त दिलाने हेतु आवेदन पर अनुशंसा करने के संबंध में।	गलत तरीकों से लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त दिलाने हेतु कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 15.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
4	बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में।	कार्यालय में बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 1021 दिनांक 04.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में श्री अली असगर, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–खिरिडीह, प्रखण्ड–विजयीपुर का संविदा दिनांक 14.12.2018 के प्रभाव से रद्द की जाती है। साथ ही श्री अली असगर के द्वारा मृत व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ देने, नजायज तरीके से धन उगाही करने एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में राशि वसूल करने एवं इस कृत्य में शामिल श्री अली असगर, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–खिरिडीह, प्रखण्ड–विजयीपुर एवं अन्य के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए इसकी सूचना एवं दर्ज प्राथमिकी संख्या इस कार्यालय को निश्चित रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह० –

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 486 /अभि0 दिनांक 15.4.19 /

प्रतिलिपि :– श्री अली असगर, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–खिरिडीह, प्रखण्ड–विजयीपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुखिया, ग्राम पंचायत राज–खिरीडीह, प्रखण्ड–विजयीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख, संचिका पंजी आदि का प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/4

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Scanned by CamScanner